न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 50/2024
दायर दिनांक : 05/08/2024
निर्णय दिनांक : 11/11/2024

उनवान

1. **चम्पालाल पिता शंकरलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**

प्रार्थीगण

बनाम

1. **माधुलाल पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
2. **डालचन्द पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
3. **भगवान पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
4. **बद्रीलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
5. **जमना पुत्री भैरूलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
6. **माधु पिता कालू जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
7. **मोहन पिता कालू जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
8. **बोतू पिता धन्ना जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
9. **मोहन पिता भूरा जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
10. **देवीलाल पिता माधु जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**
11. **जगदीश पिता चुन्नी जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर**

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम सूरताखेड़ा प.ह. आकोला के खाता सं. 43 की हाल आ.सं. 1966 रकबा 1.16 है., आ.सं. 3473 रकबा 0.19 है., आ.सं. 3475 रकबा 0.12 है., आ.सं. 3488 रकबा 0.03 है., आ.सं. 3532 रकबा 0.69 है., आ.सं. 3539 रकबा 0.72 है., आ.सं. 7833/3531 रकबा 0.4356 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर [illegible] प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में को[illegible]राधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:58:20 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर